वायनाड भूस्खलन और आपदा की स्थिति

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

केंद्र सरकार ने **मौजूदा प्रावधानों और राहत कार्यों के लिये उपलब्ध धनराशि** का हवाला देते हुए केरल को सूचित किया है कि जुलाई 2024 में हुए **वायनाड भूस्खलन को 'राष्ट्रीय आपदा' घोषित नहीं किया जा सकता।**

- वायनाड में भूस्खलन के कारण जान-माल की भारी क्षति हुई, जिसके कारण केरल सरकार को राहत और पुनर्वास के लिये केंद्र से 900 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग करनी पड़ी।
- केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष **(SDRF) और** राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत **किसी भी आपदा को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।**
  - केंद्र सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन **प्राथमिक रूप से राज्य की ज़िम्मेदारी है** तथा केंद्र इसके लिये रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
  - भूस्खलन और बाढ़ **सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं** के लिये प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय राहत **SDRF** द्वारा दी जाती है।
  - **गंभीर आपदाओं में, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (IMCT)** द्वारा मूल्यांकन के बाद NDRF से अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा सकती है।
- **आपदा: आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के** अनुसार, आपदा को "किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव निर्मित कारण या दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(I) और धारा 48(I)(A)** राष्ट्रीय स्तर पर NDRF और राज्य स्तर पर SDRF के गठन का आदेश देती है।

और पढ़ें: वायनाड में भूस्खलन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/wayanad-landslides-and-disaster-status